बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

75 (1/2) 28.01.18

(1)

—::संकल्प::—

महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय के पत्रांक WM-II/2024-25/1170 दिनांक 08.01.2025 द्वारा श्रीमती वसुंधरा कुमारी, प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी के शिकायत पत्र का उल्लेख करते हुए सूचित किया गया कि कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, औरंगाबाद द्वारा प्रमंडलीय लेखा अधिकारी के Whatsapp पर फिल्मी गाने, वीडियो एवं शायरी प्रेषित किया जाता है जो महिला उत्पीड़न के अन्तर्गत आता है। महालेखाकार कार्यालय द्वारा उक्त मामले की जाँच करने तथा फलाफल से अवगत कराने का अनुरोध किया गया।

2. उक्त मामले की जाँच, विभाग स्तर पर गठित आंतरिक शिकायत समिति से करायी गयी। अध्यक्ष, आंतरिक शिकायत समिति, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अधीन पाये जाने एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3(1) का उल्लंघन करने संबंधी आरोपों के लिए श्री अरूण कुमार दूबे, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, औरंगाबाद सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, बेगूसराय के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करने के प्रस्ताव पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। तद्‌आलोक में आरोप पत्र में अन्तर्विष्ट आरोपों के लिए ज्ञाप सं0 4642 अनु0 दिनांक 28.04.2025 द्वारा श्री दूबे से स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री दूबे के पत्रांक 50 अनु0 दिनांक 13.05.2025 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

3. इस क्रम में अध्यक्ष, महिला उत्पीन बचाव समिति, औरंगाबाद के द्वारा श्री दूबे के विरूद्ध समर्पित एक अन्य परिवाद पत्र में इनके विरूद्ध महिला पदाधिकारियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव देने, महिला कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के साथ अश्लील व्यवहार करने, उच्चाधिकारियों को फेसबुक एवं वॉट्सएप पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने, पाकिस्तानी महिलाओं से वार्तालाप करने एवं पाकिस्तानी आंतकियों से सम्पर्क होने आदि का आरोप लगाया गया। परिवादिनी द्वारा श्री दूबे के विरूद्ध उक्त आचरण के लिए उच्च स्तरीय जाँच कर बर्खास्त करने एवं जाँच अवधि में निलंबित करने का अनुरोध किया गया।

4. उपरोक्त परिवाद के समग्र समीक्षोपरांत आरोपों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुराने आरोप एवं नए आरोपों को समेकित कर नए सिरे से आरोप पत्र का गठन किया गया। श्री दूबे के के विरूद्ध पूर्व में प्रतिवेदित आरोपों एवं इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत किया गया है तथा आरोप पत्र में अन्तर्विष्ट आरोपों की विस्तृत/गहन जाँच हेतु बिहर सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-17 के संगत प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री दूबे के विरूद्ध अनुशासनिक/विभागीय कार्रवाई संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

5. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में अनुशासनिक/विभागीय कार्रवाई में श्री उज्ज्वल कुमार सिंह, विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री विवेक कुमार राय, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्री अरूण कुमार दूबे, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, औरंगाबाद सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, जाँच एवं गुणवत्ता

(snk-letter-m) Ph-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com, secy-reo-bih@nic.in

नियंत्रण प्रमंडल, बेगूसराय से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

10/07/25

(अभय झा)
संयुक्त सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञाप सं0:–2/अ0प्र0–1–10/2025 पटना/दिनांकः–

प्रतिलिपिः–आरोप पत्र (साक्ष्य सहित) की प्रति के साथ श्री उज्ज्वल कुमार सिंह, विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि श्री अरूण कुमार दूबे, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, औरंगाबाद सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, बेगूसराय के विरूद्ध अनुशासनिक/विभागीय कार्रवाई यथाशीघ्र सम्पन्न कर निर्धारित अवधि में जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में उपलबध कराने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

10/07/25

संयुक्त सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञाप सं0:–2/अ0प्र0–1–10/2025 पटना/दिनांकः–

प्रतिलिपिः–आरोप पत्र (साक्ष्य सहित) की प्रति के साथ श्री विवेक कुमार राय, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी तथा श्री अरूण कुमार दूबे, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, औरंगाबाद सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

10/07/25

संयुक्त सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञाप सं0:–2/अ0प्र0–1–10/2025 7541 पटना/दिनांकः– 11.7.25

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित

10/07/25

संयुक्त सचिव